अध्याय-VII: कल्याण निधि का प्रशासन एवं उपयोग

इस अध्याय में बोर्ड द्वारा कल्याण निधि के प्रशासन एवं उपयोग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

अध्याय का संक्षिप्त चित्रण:

- उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल बोर्ड का गठन विलम्ब से किया, अपितु समय पर बोर्ड का पुनर्गठन करने में भी विफल रही, जिससे इसके दायित्वों का निर्वहन प्रशासकों को करना पड़ा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड के सचिव एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत करने के स्थान पर इन पदों को श्रम विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों के कार्मिको से भरा गया। यहाँ तक कि बोर्ड द्वारा बिना पदों की स्वीकृति के ही अपने कार्यों के निष्पादन हेतु 576 मानव संसाधनों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की गयी थी।
- अवधि 2017-22 में बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकें मानको से 42 प्रतिशत तक कम थी तथा कुल संपन्न 15 में से चार बैठकों की नोटिस एवं एजेंडा समय पर नहीं दिया गया था।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम की धारा 22 में निहित बोर्ड के सभी अनिवार्य कार्यो को नियम 2009 में सम्मिलित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के दायित्वों के प्रमुख क्षेत्रों की अनदेखी हुई।
- बजट अनुमान की तैयारी एवं इसके प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया में कमी थी, जिससे इसे उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को पांच से 362 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवधि 2017-22 के बजट अनुमानों को अनुमोदित भी नहीं किया था।
- बजट अनुमान वैज्ञानिक आंकलन पर आधारित नहीं थे तथा अवधि 2017-22 में उपकर संग्रह के निर्धारित लक्ष्य भी कम थे।
- बोर्ड ने अपनी स्थापना के पश्चात कभी भी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया तथा स्थापना से वर्ष 2020-21 तक के अपने वार्षिक लेखे भी तैयार नहीं किए।
- राज्य सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब हुआ तथा यह अधिनियम के प्रशासन से संबंधित प्रकरणों में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने में भी अप्रभावी रही।

- बोर्ड द्वारा कल्याण निधि का प्रबंधन प्रभावी नहीं था, जिसमें बड़ी धनराशियाँ अप्रयुक्त रहीं तथा अवधि 2017-22 में श्रमिक कल्याण पर व्यय मात्र तीन से 22 प्रतिशत तक था। अवधि 2017-19 में प्रशासनिक व्यय निर्धारित मानदंडों से ₹35.07 करोड़ अधिक था।
- बोर्ड ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में भूमि क्रय के लिए ₹42.85 करोड़ का व्यय किया।
- योजनाओं के अंतर्गत आवंटित बजट से कम व्यय का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी, अवधि 2017-20 में इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। अवधि 2017-22 में अधिकांश योजनाओं, आपदा राहत सहायता योजना और मातृत्व लाभ योजना जैसे अपवादों के अतिरिक्त, में लाभार्थियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आयी थी।
- अवधि 2017-22 में बोर्ड में कुल पंजीकृत श्रमिकों में से केवल छः से 31 प्रतिशत श्रमिक ही इसकी योजनाओं से लाभान्वित हुए।
- बोर्ड द्वारा कई बैंक खातों का संचालन किया गया था तथा बिना किसी निवेश नीति को अपनाए या बैंकों से कोटेशन मांगे ही विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹5,358.18 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज दरों में भिन्नता 3.50 से 5.40 प्रतिशत के बीच थी।
- बोर्ड योजनाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करने में भी विफल रहा। वित्तीय सहायता हेतु श्रमिको के मात्र 50 प्रतिशत आवेदन ही स्वीकृत हुए तथा अनुमोदन के पश्चात भी 1.40 लाख लाभार्थियों को सहायता प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 1.42 लाख आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा वित्तीय सहायता के वितरण में भी विलम्ब हुआ।
- बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मॉडल कल्याण योजना की प्रस्तावित गतिविधियों को या तो लागू नहीं किया या इसे आधे मन से लागू किया।
- बोर्ड द्वारा योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा भी नहीं कराई गई थी।

अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। अधिनियम के प्रावधानों में कई ऐसे कार्यो को सम्मिलित किया गया हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस कानून के लाभ सभी श्रमिकों को सुलभ हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति, बोर्ड की स्थापना करके तथा

श्रमिकों हेतु कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए इसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करके, किया जाना है। बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि (कल्याण निधि) के रूप में एक निधि की स्थापना है, जो श्रमिकों के हितों में अभिवृद्धि हेतु लक्षित है। अधिनियम के कल्याण उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपकर अधिनियम तथा अन्य माध्यमों से संसाधन सृजित किए जाते हैं।

बोर्ड के गठन एवं इसके क्रियाकलाप, कल्याण निधि के प्रशासन तथा उपभोग आदि के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष परवर्ती प्रस्तरो में वर्णित है:

7.1 बोर्ड का गठन

अधिनियम में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा कल्याण उपायों के प्रबंधन हेतु प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड के गठन का अधिदेश दिया गया है। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए किया जाना वांछनीय है, जिससे अधिनियम में उल्लिखित कार्यों का क्रियान्यवन हो सके।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, नियम 2009 के नियम 256 एवं 257 के अंतर्गत प्रमुख सचिव, श्रम एवं रोजगार (उत्तर प्रदेश शासन) की अध्यक्षता में तथा अन्य पदेन[62] और मनोनीत[63] सदस्यों के साथ बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का है[64] तथा इनके उत्तराधिकारियों को कार्यकाल की समाप्ति पर या उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कारण से बोर्ड का गठन न होने की स्थिति में, राज्य सरकार छः महीने तक या बोर्ड के विधिवत गठन तक, जो भी पहले हो, एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियम 2009 के अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति के प्रावधान को छोड़कर, बोर्ड के गठन से सम्बंधित नियम 2009 के अन्य प्रावधान अधिनियम के अनुरूप थे। यह भी पाया गया कि बोर्ड का गठन अंतरालों पर किया गया था तथा अंतिम बार जनवरी 2022 में बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विधिवत गठित बोर्ड के अस्तित्व में

---

62 भारत सरकार का एक सदस्य, मुख्य निरीक्षक (श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव संवर्ग के तीन सरकारी सदस्य।

63 नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक में से तीन सदस्य।

64 जिसे समय पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

न होने के कारण, अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार (उत्तर प्रदेश शासन) को अवधि 2009-22 में[65] चार अवसरों पर 24 महीने से अधिक समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।

इस प्रकार, 24 महीने से अधिक समय तक विधिवत गठित बोर्ड की अनुपस्थिति में, नीति निर्धारण तथा कल्याणकारी उपायों की योजना बनाने में नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि नियम 2009 प्रशासक की नियुक्ति की अनुमति देता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तथा बोर्ड की संकल्पना शाश्वत उत्तराधिकार वाले निगमित निकाय के रूप में की गई है, न कि प्रशासनिक निकाय के रूप में।

7.1.1 बोर्ड के पदाधिकारी

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड को अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सचिव तथा ऐसे अन्य अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही इनकी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें, वेतन एवं भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी हैं।

तदनुसार, नियम 2009 के नियम 263 में बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से सचिव[66] और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है। नियम 273 के अनुसार, सचिव बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता एवं इसकी गतिविधियों के संचालन तथा इसके निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए नोटिस जारी करने एवं बैठकों के अभिलेखों के रख-रखाव हेतु सचिव अधिकृत है।

7.1.1.1 सचिव का पद स्वीकृत न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम एवं नियम 2009 के अधिदेश के पश्चात भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड के लिए सचिव का पद स्वीकृत नहीं

---

[65] पहली बार 20 नवंबर 2009 को छह महीने के लिए, दूसरी बार 03 जून 2010 को 10 महीने के लिए, तीसरी बार 06 अप्रैल 2017 को पांच महीने के लिए और चौथी बार 16 सितंबर 2021 को तीन महीने के लिए।

[66] सरकार का एक अधिकारी, जो उप श्रमायुक्त के पद से नीचे का न हो।

किया था। इसके स्थान पर, उप श्रमायुक्त कार्यालय के अधिकारियो या उच्च श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को सचिव के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना बोर्ड से परामर्श किए ही नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, अवधि 2017-22 में इन अधिकारियों ने केवल 14 माह के लिए ही सचिव के पद का नियमित प्रभार ग्रहण किया था, शेष 46 माह अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहे। साथ ही, 11 अवसरों पर लखनऊ क्षेत्र के सहायक या उप श्रमायुक्त को यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, सचिव की नियुक्ति में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं थी।

अतः सरकारी अधिकारियों को नियमित प्रभार के बिना अल्प समय एवं अस्थायी शर्तों पर नियुक्त करने की इस प्रवृति के कारण बोर्ड के कार्य सम्पादन में एकाग्र प्रयास का अभाव था। जिससे इसकी परिचालन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी, जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 7.2*** में वर्णित है।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि अवधि 2017-22 में सचिव की नियुक्ति नियमों के अनुसार तथा बोर्ड की स्वीकृति से की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न तो सचिव का पद स्वीकृत किया गया था एवं न ही नियुक्ति से पूर्व बोर्ड के साथ कोई परामर्श किया गया था।

7.1.1.2 बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2011 में बोर्ड के कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने हेतु 15 अस्थायी पदों को स्वीकृति दी, जिन पर बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति, मानदेय या अनुबंध के माध्यम से नियुक्तियां करनी थी।

यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने इन स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की थी तथा इन स्वीकृत पदों की निरंतरता भी वर्ष 2013-14 में समाप्त हो गई। ऐसे परिदृश्य में, श्रम आयुक्त या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड के कार्यों के निष्पादन हेतु श्रम विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों के कई अधिकारियों को बोर्ड से संबद्ध किया गया था। माह जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार, आधिकारिक तौर पर बिना स्वीकृत पदों के ही बोर्ड में पांच अधिकारियों को तैनात किया गया था।

इस प्रकार, स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के परिणामस्वरूप, बोर्ड अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि मई 2018 एवं दिसंबर 2023 में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति अभी भी लंबित हैं।

7.1.1.3 बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति

बोर्ड के कार्यों के निष्पादन के लिए इसके सचिव ने अवधि 2013-23 में अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न पदों की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कई प्रस्ताव[67] प्रस्तुत किए थे। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2023 तक इस संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेत्तर यह भी पाया कि बोर्ड द्वारा नियम 2009 की अपेक्षा के विपरीत, पदों की स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना ही, सेवा प्रदाताओं से आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न पदों[68] पर मानव संसाधन की आपूर्ति का निर्णय (नवम्बर, 2014) लिया गया था। इस प्रकार, मार्च 2022 तक, बोर्ड द्वारा 734 कर्मियों की आवश्यकता के सापेक्ष 576 मानव संसाधनों की आपूर्ति प्राप्त की गयी थी। अतः, बोर्ड के कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग, इन आउटसोर्स कर्मियों द्वारा संपन्न किया जा रहा था। यहाँ तक कि वे चेक तथा डिमांड ड्राफ्ट को संभालने के लिए भी जिम्मेदार थे। यह स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों[69] (जनवरी 2010) के विरुद्ध थी, जिसमें पर्याप्त पूर्णकालिक कार्मिको के साथ बोर्ड के गठन की अपेक्षा की गई थी।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन के बिना ही बोर्ड द्वारा मानव संसाधन की आपूर्ति प्राप्त करना, नियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

---

[67] अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के 45 पदों के लिए 13 फरवरी 2014 को, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के 900 पदों के लिये 16 जनवरी 2018 एवं 14 मई 2018 को और अधिकारियों के 13 पदों के लिये 24 मार्च 2023 को ।

[68] बोर्ड के कार्यों के निष्पादन हेतु मुख्यालय कार्यालय सहित श्रम विभाग, निदेशालय एवं शासन स्तर सहित जनपद एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार, सहायक लेखाकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं चपरासी |

[69] निर्माण श्रम संबंधी केन्द्रीय विधान संबंधी राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम भारत संघ, (2011) 4 एससीसी 653.

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि बोर्ड द्वारा पदों की स्वीकृति के लिए माह मई 2018 तथा दिसंबर 2023 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव अभी भी लंबित है।

7.1.2 बोर्ड की बैठकें

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बोर्ड की बैठकों का समय (आवधिकता) तथा बैठकों में कार्य निष्पादन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना है। तदनुसार, नियम 2009 के नियम 264 एवं 265 के अनुसार प्रत्येक तीन माह में एक बार बोर्ड की बैठके आयोजित करना अपेक्षित था, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व सदस्यों को दी जानी थी। यद्यपि कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजनाओ के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा हेतु प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश (फरवरी 2012) दिए[70] गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड की केवल 15 बैठकें ही अवधि 2017-22 में आयोजित[71] हुयी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक 26 बैठकों[72] से 42 प्रतिशत तक कम थीं। साथ ही, बोर्ड द्वारा कुल अनुमोदित 25 योजनाओ के सापेक्ष सात योजनाओ[73] को बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया था, जो योजनाओ के कार्यान्वयन की अपर्याप्त समीक्षा को दर्शाता है। यह भी देखा गया कि 15 बैठकों में से चार बैठकों की नोटिस/सूचना तथा एजेंडा सदस्यों को तीन से नौ दिनों के विलम्ब से प्रेषित किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि वर्ष 2017-18 एवं 2021-22 में विधिवत गठित बोर्ड के अस्तित्व में न होने, कोविड-19 महामारी तथा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अन्य अपरिहार्य कारणों से, बोर्ड की बैठकें मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकीं। यद्यपि, नियम 2009 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष

70 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 318

71 25 सितंबर 2017, 15 फरवरी 2018, 28 अगस्त 2018, 10 दिसंबर 2018, 25 फरवरी 2019, 6 सितंबर 2019, 7 जनवरी 2020, 23 मार्च 2020, 7 अगस्त 2020, 15 अक्टूबर 2020, 16 दिसंबर 2020, 27 जनवरी 2021, 24 मार्च 2021, 20 मई 2021 तथा 9 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया। इनमें से चार बैठकें अत्यावश्यक थीं।

72 बोर्ड अगस्त 2017 से अगस्त 2021 तक 49 महीने और जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक तीन महीने के लिए अस्तित्व में रहा।

73 सौर ऊर्जा सहायता योजना, पलाना गृह योजना, मध्याह्न भोजन योजना, खाद्य सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन बीमा योजना।

2023-24 (दिसंबर 2023 तक) में पाँच बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की बैठक तत्काल आयोजित करने की आवश्यकता के कारण कुछ बैठकों की सूचना एवं एजेंडा समय पर प्रेषित नहीं किया जा सका।

7.1.3 बोर्ड को कार्यकलाप सौंपना

अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड के विभिन्न कार्यो को सम्मलित किया गया हैं। जिसमे दुर्घटनाओं के प्रकरण में तत्काल सहायता प्रदान करना, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पेंशन, गृह ऋण/अग्रिम, समूह बीमा योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, चिकित्सा व्यय हेतु सहायता, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, तथा विभिन्न अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं सम्मिलित हैं। बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए स्थानीय अधिकारियों या नियोक्ताओं को ऋण, राजसहायता (सब्सिडी), सहायता अनुदान *आदि* प्रदान करने के लिए भी अधिकृत है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश (सितंबर 2015) दिया कि बोर्ड अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित कार्यों के अनुरूप अपने कार्यकलापों का निष्पादन करें।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार, नियम 2009 के नियम 281 के अंतर्गत बोर्ड के सभी अनिवार्य कार्यकलापों को समाविष्ट करने में विफल रही। नियम 281 में लाभार्थियों के लिए केवल गृह ऋण/अग्रिम तथा बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए वित्तीय सहायता के ही उपबंध सम्मिलित थे। इसके पश्चात् भी बोर्ड ने अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित कार्यकलापों को आच्छादित करने के लिए कई[74] योजनाओं को लागू किया। यद्यपि कि अधिनियम के अधिनियमित होने के 28 वर्ष बाद भी बोर्ड द्वारा अनिवार्य कार्यकलाप के कई क्षेत्रों में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया यथा समूह बीमा योजनाओं एवं ऋणों का भुगतान, श्रमिकों के कल्याण के लिए स्थानीय प्राधिकरणों या नियोक्ताओं को राजसहायता तथा सहायता अनुदान का भुगतान इत्यादि। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा लाभार्थियों के लिए सहायता

[74] लाभार्थी की दुर्घटना के मामले में सहायता, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान, प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय का भुगतान, महिला लाभार्थियों को प्रसूति लाभ का भुगतान आदि।

कार्यक्रम शुरू किए थे, वहां इनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां थीं, जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 7.2.6*** में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 14(2) एवं 62(2)(आई) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक लगातार बोर्ड का लाभार्थी रहा है, तो वह ऐसे लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा जो नियमों के माध्यम से राज्य सरकार निर्धारित करें। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया की बोर्ड के रेखांकित कार्यकलापों के अतिरिक्त, नियम 283 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बोर्ड द्वारा संचालनार्थ विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण किया। यद्यपि, अनिवार्य कार्यों के समान, बोर्ड ने इन गतिविधियों के कई क्षेत्रों में कोई कार्यवाही नहीं की, जिसमें श्रमिकों के नियोजन, उनकी कुशलता, आय, मजदूरी और कार्य करने की दशा में प्रतिमान के साथ श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न सरकारी तथा बोर्ड कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन का आयोजन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देने, मदिरापान एवं दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियाँ का उन्मूलन, श्रमिकों के लिए खेल-कूद; सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यकलापों का आयोजन एवं लाभार्थियों के समूहों के लिए अध्ययन सम्बन्धी भ्रमण का आयोजन आदि गतिविधियों की भी बोर्ड द्वारा उपेक्षा की गई, यद्यपि नियम 2009 के अंतर्गत इनका क्रियान्वयन अपेक्षित था।

इस प्रकार, संचालन के कई क्षेत्रों में राज्य सरकार एवं बोर्ड की निष्क्रियता के कारण, श्रमिकों को अधिनियम तथा नियम 2009 द्वारा अधिदेशित लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मार्च 2024) कि कार्यकलापों के कई अनिवार्य क्षेत्रों हेतु कोई कल्याणकारी योजना तैयार नहीं की गई है।

7.2 बोर्ड के अन्य उत्तरदायित्व

अधिनियम एवं नियम 2009 के प्रावधानों ने बोर्ड को कल्याण निधि के प्रबंधन एवं प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा है। बोर्ड के अन्य उत्तरदायित्वों में उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृति हेतु बजट प्रस्तुत करना, वार्षिक प्रतिवेदन

तथा लेखे तैयार एवं प्रस्तुत करना, लाभार्थियों से अंशदान एवं अन्य प्रभारो को एकत्र करना, समितियों का गठन, उपलब्ध निधियों का निवेश आदि सम्मिलित हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में बोर्ड के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

7.2.1 बजट अनुमान तैयार करना

अधिनियम की धारा 25 में बोर्ड से यह अपेक्षा की गई है कि वह आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को सम्मिलित करते हुए बजट अनुमान ऐसे प्रारूप एवं समय पर तैयार करे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, तथा उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकारों को प्रस्तुत करे।

यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम में बजट अनुमानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में दोनों सरकारों की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि नियम 2009 के नियम 272(2)(बी) में बोर्ड को बजट तैयार कर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गयी है, लेकिन इस हेतु आवश्यक प्रारूप या समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक प्रारूप एवं समय-सीमा का निर्धारण न किये जाने के कारण, बोर्ड न केवल आगामी वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों एवं गत वर्ष की प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बजट अनुमानों में सम्मिलित करने में विफल रहा, बल्कि अवधि 2017-22 में बजट अनुमानों की तैयारी एवं प्रस्तुति भी विलंबित थी जैसा कि नीचे **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 7.1: बजट अनुमान तैयार करने एवं सरकार को प्रस्तुत करने का विवरण

वर्ष	बोर्ड द्वारा बजट अनुमान अनुमोदित करने की तिथि	सरकारों को प्रस्तुत करने की तिथि	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के बाद प्रस्तुत करने की अवधि (दिनों में)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति की स्थिति
2017-18	अनुमोदित नहीं	28/03/2018	362	नहीं दी गई
2018-19	15/02/2018	28/03/2018	समय पर प्रस्तुत	नहीं दी गई
2019-20	25/02/2019	05/04/2019	05	नहीं दी गई
2020-21	07/08/2020	04/09/2020	157	नहीं दी गई
2021-22	24/03/2021	10/05/2021	40	नहीं दी गई

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक निर्धारित समय सारणी के अभाव में अवधि 2017-22 (वर्ष 2018-19 को छोड़कर) के बजट अनुमान, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के बाद सरकार को प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें पांच से 362 दिनों तक का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों को अप्रैल 2017 में प्रशासक द्वारा अनुमोदित किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार को प्रस्तुत किया गया था, यद्यपि कि द्वितीय बोर्ड 5 अप्रैल 2017 तक अस्तित्व में रहा एवं तृतीय बोर्ड अगस्त 2017 में पुनः गठित हुआ था। पुनः बोर्ड की बैठकों में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ। यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमानों पर अपेक्षित स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, जैसा कि नियम 2009 द्वारा अधिदेशित किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि बजट अनुमान तैयार करने के पश्चात, बोर्ड ने उन्हें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर दिया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि कोविड महामारी के प्रकोप के कारण, अवधि 2020-22 में प्राप्तियों का अनुमान एवं समय पर बजट अनुमानों की तैयारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

7.2.1.1 अवास्तविक बजट अनुमान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, बजट अनुमान यथासंभव वास्तविकता के समीप होना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट अनुमान किसी वैज्ञानिक आंकलन पर आधारित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक एवं अनुमानित आंकड़ों के बीच वृहद् विचलन था। अवधि 2017-22 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आकड़ों का विवरण नीचे **तालिका 7.2** में दिया गया है:

तालिका 7.2: अवधि 2017-22 में बजट अनुमानों तथा वास्तविक आकड़ों के बीच अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक आकड़े		वास्तविक आकड़ो के सापेक्ष बजट अनुमानों का विचलन प्रतिशत में	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
2017-18	990.00	579.35	1051.65	324.14	06.23	(-) 44.05
2018-19	1010.00	711.45	1156.30	193.86	14.49	(-) 72.75
2019-20	1142.00	825.97	1261.51	362.67	10.46	(-) 56.09
2020-21	तैयार नहीं	1374.21	1258.12	882.49	-	(-) 35.78
2021-22	तैयार नहीं	1511.71	1364.13	1639.36	-	8.44

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि व्यय के अनुमान अवास्तविक थे तथा व्यापक रूप से भिन्न थे, जो बजट प्रक्रिया में यादृच्छिकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से पुनरीक्षित बजट के अंतर्गत चिकित्सा सहायता योजना[75], आपदा सहायता योजना[76] आदि जैसी नई योजनाएं प्रारम्भ की गईं, जो उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों[77] के प्रतिकूल थीं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मुख्यालय में अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुपालन में आवंटित बजट के उपयोग पर निगरानी हेतु बजट नियंत्रण पंजिका का अनुरक्षण भी नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धन का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 7.2.5.2*** में वर्णित है।

उत्तर में, राज्य सरकार ने (मार्च 2024) पुनर्विनियोजन के माध्यम से नई योजनाओं के कार्यान्वयन की पुष्टि की तथा बताया कि बजट अनुमान जनपदों से प्राप्त सूचनाओं, योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों के अनुमानित आवेदन एवं विगत वर्ष के व्यय पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि योजनाओं के अंतर्गत व्यय का सही अनुमान, उनकी अनिश्चित प्रकृति के कारण संभव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमानित एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच सतत अंतर, बजट अनुमान की अशुद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त,

75 अन्य योजनाओं की बचत से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित बजट में प्रस्तुत किया गया।

76 अन्य योजनाओं की बचत से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित बजट में प्रस्तुत किया गया।

77 उत्तरप्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 151 (iv) के अनुसार, पुनर्विनियोजन के माध्यम से नए व्यय की अनुमति नहीं है।

नए व्यय के लिए मूल/अनुपूरक बजट के स्थान पर पुनर्विनियोजन का माध्यम अपनाने से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

7.2.1.2 उपकर संग्रहण के लिए कम लक्ष्य निर्धारित करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा उपकर संग्रह के लिए क्षेत्रवार वार्षिक लक्ष्य बिना किसी व्यवस्थित आंकलन जैसे पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या या राज्य में चल रही निर्माण गतिविधियों इत्यादि का विचार किये ही निर्धारित किया गया था। इसके स्थान पर, ये लक्ष्य पिछले वर्ष की प्राप्तियों जैसा कि जनपद स्तर अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था, पर आधारित थें। यद्यपि कि उपकर प्राप्तियों के लिए उचित लेखांकन प्रक्रियाओं के अभाव में (जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 4.43*** में वर्णित है), संग्रहित उपकर की सूचना जनपद स्तरीय अधिकारियो द्वारा कम करके बतायी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, लक्ष्यों का निर्धारण गलत सूचना के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, ये लक्ष्य कई वर्षों तक अपरिवर्तित भी रहे। उपकर संग्रहण के वार्षिक लक्ष्यों तथा उसके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण नीचे **सारणी 7.3** में दिया गया है :

तालिका 7.3: अवधि 2017-22 में उपकर संग्रहण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	जनपदों की सूचना के अनुसार उपलब्धि	बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार उपकर की वास्तविक प्राप्तियां	लक्ष्यों की उपलब्धि का *प्रतिशत*	
				जनपदों की सूचना के सापेक्ष	बोर्ड के अभिलेखों के सापेक्ष
2017-18	970.00	703.21	826.75	*72.50*	*85.23*
2018-19	970.00	694.35	901.02	*71.58*	*92.89*
2019-20	970.00	683.54	925.18	*70.47*	*95.38*
2020-21	1000.00	664.50	888.81	*66.45*	*88.88*
2021-22	1000.00	1008.37	1017.33	*100.84*	*101.73*

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जनपद प्राधिकारियों की गलत सूचना के कारण तथा बिना किसी व्यवस्थित अनुमान के लक्ष्य निर्धारण से, उपकर संग्रहण के लिए अपेक्षाकृत कम लक्ष्य निर्धारित किए गए।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि उपकर संग्रह के लक्ष्य 2019-20 तक जनपद की सूचना के आधार पर निर्धारित किए गए थे,

लेकिन वर्ष 2020-21 से यह उपकर बैंक खाते की प्राप्तियों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा यह भी बताया गया था कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण इसे प्रति वर्ष संशोधित नहीं किया जा सका।

7.2.2 वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना

अधिनियम की धारा 26 एवं 62(2)(क्यू) के अनुसार बोर्ड को अपने गत वर्ष के गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन ऐसे प्रारुप एवं समय-सीमा के भीतर संकलित कर, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए, राज्य एवं केंद्र, दोनों ही सरकारों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियम 2009 के नियम 272(सी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोर्ड को एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना आवश्यक किया किन्तु इसके लिए आवश्यक प्रारूप एवं समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं किया।

यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने अपनी स्थापना के पश्चात से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। इस प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से अपेक्षित सूचना का प्रसार नहीं करने से हितधारकों को बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी से वंचित होना पड़ा।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति में है, लेकिन उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

7.2.3 वार्षिक लेखा तैयार करना

अधिनियम की धारा 27 एवं 62(2)(आर) के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय-सीमा के भीतर, वार्षिक लेखों का विवरण तैयार करना आवश्यक है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। इस वार्षिक लेखे को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के उपबंधों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियम 2009 के नियम 272(2)(डी) में इस हेतु आवश्यक प्रारूप एवं समय-सीमा का उल्लेख किए बिना ही बोर्ड को लेखों के उचित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, नियम 2009 के संगत प्रावधान राज्य सरकार को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने के बारे में भी मौन थे। इन कमियों के कारण, बोर्ड ने प्रारम्भ से वर्ष 2020-21 तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। जिसके कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, बोर्ड की वित्तीय स्थिति के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक लेखें तैयार (मई 2023) किए थे किन्तु इसे जून 2023 तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक लेखों के अभाव में, बोर्ड आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अन्तर्गत छूट प्राप्ति के लिए सक्षम प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सका। जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान कल्याण निधि के निवेश पर क्रमशः ₹8.65 लाख और ₹38.05 लाख की कटौती स्रोत पर आयकर के रूप में हुयी थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अन्तर्गत बोर्ड को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।

7.2.4 समितियों का गठन

अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को अधिनियम के प्रशासन के संबंध में सलाह देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करना अपेक्षित है। इसके लिये नियम 10 से 22 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक तीन वर्षों में एक अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अन्य नामित एवं पदेन सदस्यों के साथ राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया। राज्य सलाहकार समिति की बैठकें छः माह में कम से कम एक बार अथवा जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सलाह मांगी जाए, आयोजित किया जाना है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियम 2009 की अधिसूचना के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सलाहकार समिति का गठन तीन

बार किया गया था। पहली राज्य सलाहकार समिति का गठन नवंबर 2013 में किया गया था तथा यह मार्च 2017 तक अस्तित्व में थी, जो कि निर्धारित कार्यकाल से पांच महीने अधिक था। दूसरी राज्य सलाहकार समिति का गठन अगस्त 2018 में 16 महीने के अंतराल के बाद किया गया था तथा तीसरी राज्य सलाहकार समिति का गठन सितंबर 2021 में बिना किसी देरी के किया गया था। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2013 में पहली राज्य सलाहकार समिति के गठन के बाद, अध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों के पदों में लगातार परिवर्तन के कारण, दिसंबर 2015 तक इसकी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। यद्यपि कि इस अवधि में अध्यक्ष के मानदेय एवं यात्रा भत्ते पर, कल्याण निधि से ₹8.12 लाख का व्यय किया गया था।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि अगस्त 2018 तथा मार्च 2022 के मध्य राज्य सलाहकार समिति की केवल छः बैठकें आयोजित की गईं, जो सात बैठकों के निर्धारित मानदंड से कम थीं। साथ ही, दूसरी राज्य सलाहकार समिति ने बोर्ड के क्रियाकलाप के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 22 अनुशंसायें[78] प्रस्तुत कीं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से अधिकांश अनुशंसाओं[79] पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सलाहकार समिति नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित तीन बैठकों में कोई भी अनुशंसा प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम के प्रशासन अथवा कल्याणकारी योजनाओं के निरूपण तथा कार्यान्वयन के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रकरण राज्य सलाहकार समिति को संदर्भित नहीं किया था। राज्य सलाहकार समिति के अतिरिक्त, अन्य समितियों के गठन में भी कमी थी, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

➢ अधिनियम की धारा 5(1) में अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित नियमों को बनाने के संबंध में सलाह देने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में विशेष अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए एक या अधिक विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकती है। यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम 2009 के अन्तर्गत विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए कोई नियम नहीं बनाया था, जिसके परिणामस्वरूप नियम 2009 के

[78] अगस्त 2018 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान आयोजित पहली तीन बैठक|

[79] कुछ प्रकरणों को बोर्ड द्वारा स्वयं उठाया गया था।

अन्तर्गत अधिनियम की कई आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ (जैसा कि पहले ***अध्याय-II*** में चर्चा की गई है)।

➢ नियम 2009 के नियम 270 के अंतर्गत बोर्ड को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समितियां गठित करने का भी अधिकार है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने उपकर संग्रहण, श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए तीन समितियों के गठन के लिए एक संकल्प पारित (अगस्त 2018 तथा अक्टूबर 2018) किया था। साथ ही माह दिसंबर 2018 के दौरान इन आवश्यक समितियों का गठन भी किया, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त और न्याय विभाग से इन समितियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण, इन्हें जून 2023 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने राज्य सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञ समितियों पर कोई टिप्पणी (मार्च 2024) नहीं की तथा बोर्ड द्वारा तीन अन्य समितियों के गठन की पुष्टि बिना इनकी क्रियाशीलता तथा इन्हें सौंपे गए कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के बारे में कोई विवरण प्रदान किए ही की गयी।

7.2.5 कल्याण निधि का प्रबंधन

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड को भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अनुदान[80], लाभार्थी अंशदान तथा अन्य निधियों को सम्मिलित करते हुए एक कल्याण निधि का गठन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को बोर्ड के लिए अन्य संसाधनों को भी निर्धारित करने का अधिकार है। तदनुसार, उपकर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निर्माण लागत का कम से कम एक प्रतिशत उपकर अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए, नियम 274 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित प्राप्तियों को जमा करने तथा प्रबंधित करने के लिए "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण निधि" (कल्याण निधि) के गठन का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रावधानित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कल्याण निधि की भी स्थापना (मार्च 2010) की। इसके

---

[80] धारा 23 के तहत, भारत सरकार संसद के अनुमोदन से बोर्ड को ऋण और अनुदान प्रदान कर सकती है।

अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर 2009 में उपकर संग्रहण को भी कार्यान्वित किया। अवधि 2017-22 में कल्याण निधि अंतर्गत प्राप्तियों की तुलना में व्यय का विवरण नीचे **तालिका 7.4** में दिया गया है:

तालिका 7.4: अवधि 2017-22 में कल्याण निधि अंतर्गत प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्व शेष	उपकर प्राप्तियां	पंजीकरण शुल्क	ब्याज प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	योजनाओं पर व्यय (%)	प्रशासनिक व्यय (%)	कॉर्पस फंड	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	3194.99	826.75	10.54	214.36	4246.64	282.56 *(6.65)*	41.58 *(0.98)*	-	324.14	3922.50
2018-19	3922.50	901.02	7.42	247.86	5078.80	174.47 *(3.44)*	19.39 *(0.38)*	-	193.86	4884.94
2019-20	4884.94	925.18	13.15	323.18	6146.45	347.04 *(5.65)*	15.63 *(0.25)*	-	362.67	5783.78
2020-21	5783.78	888.81	9.31	360.00	7041.90	868.88 *(12.34)*	13.61 *(0.19)*	-	882.49	6159.41
2021-22	6159.41	1017.33	3.72	343.08	7523.54	1622.56 *(21.56)*	16.80 *(0.22)*	1890.00*	3529.36	3994.18
योग	**3194.99**	**4559.09**	**44.14**	**1488.48**	**9286.70**	**3295.51**	**107.01**	**1890.00**	**5292.52**	**3994.18**

*(स्रोत: बोर्ड के सचिव की सूचना के अनुसार) (*राज्य के 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों के संचालनार्थ एक कोष बनाने के लिए कल्याण निधि से विनियोजित।)*

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कल्याण निधि में बड़ी धनराशियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थी तथा अवधि 2017-22 में उपलब्ध राशि का केवल तीन से 22 प्रतिशत ही लाभार्थी कल्याण के लिए उपयोग किया गया था। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों[81] के विरुद्ध था, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण निधि का उपयोग की अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, अवधि 2020-22 में व्यय में अधिकांश वृद्धि आपदा राहत सहायता [82] एवं तीन अन्य योजनाओं[83] के कारण था । साथ ही धनराशियों की उपलब्धता के बाद भी, बोर्ड द्वारा श्रमिकों को पारगमन आवास, रैन बसेरों के साथ श्रमिक शेड, सचल शौचालय तथा सचल शिशु गृहों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2017) का पालन नहीं किया गया था। यह सुविधाएँ इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि श्रमिकों को काम की तलाश के दौरान मूलभूत सुविधाओ

[81] भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 अगस्त 2015, 16 अक्टूबर 2015 और 19 मार्च 2018 को जबकि भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 2015 और 6 अक्टूबर 2017 को।

[82] 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹775.24 करोड़ और ₹958.87 करोड़ का व्यय।

[83] प्रसूति लाभ योजना, कामगार पुत्री विवाह योजना और चिकित्सा सहायता योजना।

में कमी के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोर्ड को श्रमिकों के लिए पारगमन हॉस्टल स्थापित करने का निर्देश (जुलाई 2021) दिया था।

इस प्रकार, श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण निधि का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कल्याण निधि में अत्यधिक धनराशियाँ संचित होने के कारण निर्धारित मदों से भिन्न मदों पर व्यय किये जाने के दृष्टांत भी लेखापरीक्षा में देखे गए, जिन पर अनुवर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि अधिक श्रमिकों को आच्छादित करने के लिए नई नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा श्रमिक शेड एवं रैन बसेरों की सुविधा प्रदान करने, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि के लिए नई योजनाओं को प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.2.5.1 कल्याण निधि का अनुप्रयोग

अधिनियम की धारा 22 एवं 24 के अनुसार, कल्याण निधि श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की लागत तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के आच्छादन के उद्देश्यों से अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक मदों पर व्यय किसी वित्तीय वर्ष में कुल संपन्न व्यय के पांच प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं है। साथ ही भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अगस्त 2015) के अनुसरण में, भारत सरकार ने निर्देशित (जून 2016) किया कि कल्याण निधि का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा उल्लंघन के प्रकरणों में, कल्याण निधि में ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए तत्काल सुधारात्मक प्रयास किये जाने चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक व्यय पर अवधि 2017-22 में कल्याण निधि से बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे **तालिका 7.5** में दिया गया है:

तालिका 7.5: अवधि 2017-22 में योजनाओं पर व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	प्रशासनिक व्यय (*कुल व्यय का* प्रतिशत)	योजनाओं पर व्यय (*कुल व्यय का* प्रतिशत)	प्रशासनिक व्यय हेतु निर्धारित व्यय	प्रशासनिक व्यय पर संपन्न अतिरिक्त व्यय
2017-18	324.14	41.58 (*12.83*)	282.56 (*87.17*)	16.21	25.37
2018-19	193.86	19.39 (*10.00*)	174.47 (*90.00*)	9.69	09.70
2019-20	362.67	15.63 (*4.31*)	347.04 (*95.69*)	18.13	सीमा अंतर्गत
2020-21	882.49	13.61 (*1.54*)	868.88 (*98.46*)	44.12	
2021-22	1639.36*	16.80 (*1.02*)	1622.56 (*98.98*)	81.97	सीमा अंतर्गत

(स्रोत: बोर्ड के सचिव की सूचना के अनुसार)

(राज्य के 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों के संचालनार्थ एक कोष बनाने हेतु विनियोजित ₹ 1890 करोड़ को छोड़कर।)*

यह स्पष्ट है कि अवधि 2017-19 में प्रशासनिक व्ययों पर ₹35.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था, जो अधिनियम में निर्दिष्ट पांच प्रतिशत की सीमा के अतिक्रमण में था। इसके बाद भी, बोर्ड ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कल्याण निधि से संपन्न अतिरिक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों[84] के संचालन एवं रख-रखाव के लिए कार्पस फण्ड सृजित करने हेतु वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1890.00 करोड़ का व्यय भी किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही व्यय संपन्न किया गया है, तथा अधिनियम के प्रावधान श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण निधि का कम से कम 95 प्रतिशत व्यय करने की अपेक्षा नहीं करते है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 24(3) में प्रावधान है कि प्रशासनिक व्यय वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कल्याण निधि का कम से कम 95 प्रतिशत श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना है।

निर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न मदों पर व्यय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (अगस्त 2015) के अनुसार, कल्याण निधि का गठन निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अभिप्रेत

[84] इन आवासीय विद्यालयों का निर्माण उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा सरकारी अनुदान के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था।

है, न कि बोर्ड के लाभ के लिए। यद्यपि कि बोर्ड ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण[85] के लिए धनराशि ₹42.56 करोड़ (आकस्मिक व्यय जैसे पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क सहित) के व्ययोपरांत लखनऊ विकास प्राधिकरण से 1.35 एकड़ भूमि का क्रय (मार्च 2016) किया था। इसके अतिरिक्त, क्रय की गई भूमि पर चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ 29.32 लाख की राशि का भी व्यय (दिसंबर 2018) किया गया था। इसके पश्चात भी, भारत सरकार के निर्देशों (जून 2016) के कारण, जिसमें भवनों के निर्माण के लिए कल्याण निधि के उपयोग पर रोक लगाई गई थी, कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जून 2023 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका। जिससे ₹42.85 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि दीर्घ काल में धन की बचत के लिए, बोर्ड ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि क्रय की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कल्याण निधि का उपयोग भवन निर्माण के लिए नहीं किया जाना है।

7.2.5.2 बजट से निम्न लक्ष्यों का निर्धारण

बोर्ड के सचिव ने विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर योजनाओं के अन्तर्गत व्यय संपन्न करने हेतु क्षेत्रवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये थे। यद्यपि कि इन व्यय के लक्ष्यों के निर्धारण में योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित बजट पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन निर्धारित लक्ष्यों में लाभार्थियों के भौतिक लक्ष्य सम्मिलित नहीं थे क्योंकि बोर्ड ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत सभी श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए कोई वार्षिक या दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। अवधि 2017-22 में योजनाओं के अंतर्गत आबंटित बजट, वर्ष-वार व्यय के लक्ष्य तथा इसके सापेक्ष वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे **तालिका 7.6** में दिया गया है :

[85] लखनऊ के गोमती नगर में।

तालिका 7.6: अवधि 2017-22 में योजनाओं के अंतर्गत आवंटित बजट एवं व्यय के लक्ष्यों की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत बजट	योजनाओं के अन्तर्गत व्यय के निर्धारित लक्ष्य	बजट आवंटन के सापेक्ष निर्धारित निम्न लक्ष्यों का विवरण प्रतिशत में	वास्तविक व्यय	व्यय के लक्ष्यों की उपलब्धि प्रतिशत में
2017-18	514.05	514.00	00	282.56	55
2018-19	686.57	514.00	25	174.47	34
2019-20	788.17	514.00	35	347.04	68
2020-21	1336.26	902.64	32	868.88	96
2021-22	1476.11	902.64	39	1622.56	180

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अवधि 2018-22 में बजट आवंटन की तुलना में व्यय के लक्ष्य 25 से 39 प्रतिशत तक कम निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अवधि 2017-20 में व्यय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त भी नहीं किया गया था क्योंकि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां 34 से 68 प्रतिशत के बीच थीं। जबकि वर्ष 2020-21 के व्यय के लक्ष्य प्राप्त किये गए थे किन्तु वास्तविक व्यय आवंटित बजट से कम था। यद्यपि कि वर्ष 2021-22 में, वास्तविक व्यय, व्यय के लक्ष्य और आवंटित बजट दोनों से अधिक था।

इस प्रकार, अवधि 2017-21 के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए आवंटित बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि सभी पंजीकृत लाभार्थी सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किये जा सकते तथा अवधि 2017-22 में योजनाओं के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है। सरकार ने यह भी कहा कि ₹1400 करोड़ के अनुपूरक बजट के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय, बजट की सीमा में था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय के लक्ष्य पुनः बजट प्रावधान से कम थे तथा कम लक्ष्यों के कारण कुल बजट का केवल 56 प्रतिशत (मूल ₹ 1476.11 करोड़ + अनुपूरक ₹ 1400 करोड़) ही उपयोग किया जा सका।

7.2.5.3 लाभार्थियों के लिए कल्याण निधि के लाभ को सीमित करना

जैसा कि पूर्व तालिका **7.4** में दर्शाया गया है कि बोर्ड के पास पंजीकृत लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए अवधि 2017-22 में पर्याप्त धनराशियाँ उपलब्ध थी। बोर्ड ने श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 25 योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया था।

यद्यपि कि व्यय के लक्ष्य का निर्धारण कर योजनाओं के अन्तर्गत व्यय को सीमित करने एवं लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए वार्षिक एवं दीर्घकालिक भौतिक लक्ष्यों की कमी के कारण, अवधि 2017-22 में 20 योजनाओं (बोर्ड द्वारा कार्यान्वित 24 योजनाओं[86] में से) में लाभार्थियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-XII*** में दिया गया है। यह कमी इसी अवधि में बोर्ड के साथ पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद हुई थी। इन 20 योजनाओं में केवल 2.82 लाख लाभार्थियों को आच्छादित किया गया, जो कुल योजना लाभार्थियों का मात्र 1.67 प्रतिशत था। इसके विपरीत, शेष चार योजनाओं में लाभार्थी की संख्या में वृद्धि हुई थी, जिनमें कुल योजना लाभार्थियों के 98.33 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था ***(परिशिष्ट-XII)***। यद्यपि, यह ध्यान देने योग्य है कि इन चार योजनाओं में से, आपदा राहत सहायता योजना, जिसे कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में नकद सहायता प्रदान करने के लिए अवधि 2019-22 में अस्थायी रूप से लागू किया गया था, ने 90 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित करने में योगदान दिया । इस प्रकार, यदि आपदा राहत सहायता योजना के लाभार्थियों को बाहर रखें, तो बोर्ड के साथ पंजीकृत कुल लाभार्थियों के विरुद्ध केवल छः से 31 प्रतिशत लाभार्थियों या उनके आश्रितों को अवधि 2017-22 में बोर्ड की योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों को अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किये गए थे। यद्यपि कि इस उद्देश्य हेतु बोर्ड द्वारा नवंबर 2018 में पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना प्रारंभ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत अवधि 2019-22 में ₹45.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹11.96 करोड़ का ही व्यय किया गया था।

---

[86] प्रचार और जागरूकता उपायों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना को छोड़कर।

इस प्रकार, योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए कोई वार्षिक अथवा दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित न किए जाने के कारण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशियों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका एवं योजनाओं का आच्छादन सीमित रहा।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि समान प्रकृति की योजनाओं का विलय कर दिया गया है, लाभ तक पहुंच सुगम बनाने हेतु आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, तथा वस्तुओं के वितरण से जुड़ी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि बजट के शत-प्रतिशत उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं तथा सभी पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए नई योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।

7.2.5.4 निवेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोर्डों को अपनी अधिशेष निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश करने का निर्देश (फरवरी 2012) दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की लखनऊ शाखा में बोर्ड का बचत बैंक खाता संचालित करने की अनुमति (मार्च, 2010) प्रदान की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने अवधि 2017-22 में पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क[87], उपकर प्राप्तियों के हस्तांतरण तथा उपकर प्राप्तियों से व्यय के प्रबंधन हेतु प्रत्येक के लिए दो बचत बैंक खातों का संचालन किया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2022 के अंत में, बोर्ड द्वारा जनपद स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की गई उपकर राशि को जमा करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए चार अन्य बैंक खाते संचालित किये गए थे। इन बैंक खातों का 31 मार्च 2022 को अंतिम शेष ₹ 325.21 करोड़ था।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने पंजीकरण शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति से संबंधित बचत बैंक खातों का ऑटो स्वीप सुविधा के साथ संचालन किया, जिसमें ₹ दो करोड़ से अधिक की शेष राशि स्वचालित रूप से सावधि जमा में निवेश की गई थी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के सावधि जमा में भी अधिशेष धनराशियों का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक सावधि जमा में ₹ 5358.18

[87] दोनों खाते वर्ष 2019-20 तक इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं में संचालित थे। इसके बाद इलाहाबाद बैंक की बापू भवन शाखा में केवल एक बैंक खाते का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया।

करोड़[88] का निवेश किया गया, जिसके सापेक्ष केवल ₹ 100 करोड़ की ही पावतियां अनुरक्षित थी। यह भी देखा गया कि दिल्ली भवन एवं अन्य संनिमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रथा के विपरीत, बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों से बिना कोटेशन मांगे ही सावधि जमा में निवेश किया गया था। नतीजतन, सावधि जमा के ब्याज दरों में 3.50 से 5.40 प्रतिशत का अंतर था, जिससे बोर्ड को इष्टतम ब्याज प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, इन अधिशेष राशियों का सावधि जमा में निवेश, बोर्ड द्वारा बिना किसी निवेश नीति को अपनाए ही किया गया था। ऐसी नीति के अभाव में, सरकारी प्रतिभूतियों, बांड्स आदि जैसे निवेश के अन्य साधनों का लाभ नहीं उठाया जा सका। यद्यपि कि असम सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2007 के अन्तर्गत प्रतिभूतियों में निवेश का प्रावधान किया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वित्तीय लेखों का रख-रखाव न किये जाने के कारण (जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 7.2.3*** में चर्चा की गई थी), बोर्ड ने कल्याण निधि की वित्तीय स्थिति को ₹ 1,689.21 करोड़ कम करके दर्शाया क्योंकि बोर्ड के सभी बैंक खातों का अंतिम शेष ₹ 325.21 करोड़ था तथा 31 मार्च 2022 तक ₹ 5,358.18 करोड़ की राशि सावधि जमा में भी निवेश की गई थी। यद्यपि कि कल्याण निधि का अंतिम शेष केवल ₹3,994.18 करोड़ ही सूचित किया गया था।

इस प्रकार, कोई निवेश नीति न अपनाने के कारण, कल्याण निधि के अधिशेष राशियों का विवेकपूर्ण तरीके से निवेश नहीं किया जा सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि पंजीकरण एवं उपकर प्राप्तियों को अलग-अलग जमा करने के लिए विभिन्न बैंक खाते संचालित किए गए हैं। सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि कम ब्याज दरों वाली सावधि जमा को बैंकों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अधिकतम पांच प्रतिशत की ब्याज दरों के साथ संशोधित किया गया है तथा वर्ष 2022-23 में बैंको द्वारा ₹39.81 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आश्वासन दिया कि अधिशेष राशियों के बेहतर निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संशोधित सावधि जमा का विवरण सरकार के उत्तर के साथ प्रदान नहीं किया गया था तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया

[88] सभी निवेशों के लिए सावधि जमा प्राप्तियों का रख-रखाव न किए जाने के कारण, बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सावधि जमा के सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं था।

था कि कम ब्याज दरों वाले सभी सावधि जमा को संशोधित किया गया था अथवा नहीं।

7.2.6 योजनाओं के कार्यान्वयन में अदक्षता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने लाभार्थियों के लिए 25 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया (जैसा कि ***परिशिष्ट-XIII*** में दर्शाया गया है) । यद्यपि, योजनाओं के दिशानिर्देशों में लगातार परिवर्तन तथा योजनाओं का संचालन बीच में ही बंद किये जाने या अन्य योजनाओं के साथ विलय के कारण, वर्ष 2021-22 के अंत में क्रियान्वित योजनाओं की संख्या केवल 13[89] रह गई। इससे स्पष्ट है कि बिना विस्तृत विचार-विमर्श के ही योजनाएं तैयार की गई थीं। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि योजनाओ को तैयार करने में राज्य सलाहकार समिति की कोई भूमिका नहीं थी।

योजनाओं के कार्यान्वयन में अनिश्चितता (जैसा कि परवर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है), से श्रमिकों को वित्तीय सहायता के अनुमोदन एवं अवमुक्ति प्रभावित हुई। अवधि 2017-22 में योजनाओ के अंतर्गत लंबित आवेदनों, अनुमोदित आवेदनों, सहायता के संवितरण एवं लंबित संवितरण का वर्षवार विवरण (जून 2023 तक स्थिति के अनुसार) नीचे **तालिका 7.7** में दिया गया है:

तालिका 7.7: अवधि 2017-22 में योजनाओं के अंतर्गत सहायता के संवितरण का विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में स्वीकृत आवेदनों की संख्या (%)	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या (%)	सहायता संवितरण के प्रकरण (%)	लंबित संवितरण के प्रकरण (%)	वर्ष के अंत में लंबित आवेदन
2017-18	14044	497873	192737 *(38)*	254551 *(50)*	178503 *(93)*	14234 *(07)*	64629
2018-19	64629	397622	218482 *(47)*	156410 *(34)*	208509 *(95)*	9973 *(05)*	87359
2019-20	87359	395459	313624 *(65)*	75666 *(16)*	309121 *(99)*	4503 *(01)*	93528
2020-21	93528	1269661	543723 *(40)*	695251 *(51)*	523261 *(96)*	20462 *(04)*	124215
2021-22	124215	655762	331714 *(43)*	305890 *(39)*	240881 *(73)*	90833 *(27)*	142373
योग	**14044**	**3216377**	**1600280 *(50)***	**1487768 *(46)***	**1460275 *(91)***	**140005 *(09)***	**142373**

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

[89] मातृत्व; शिशु एवं बालिका सहायता योजना, दुर्घटना सहायता/मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, मेधावी पुरस्कार योजना, श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना, निर्माण कामगार पुत्री विवाह सहायता योजना, आवास सहायता योजना, पेंशन योजना, आवासीय विद्यालय सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अवधि 2017-22 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए प्राप्त हुए कुल 32.16 लाख आवेदन के सापेक्ष केवल 16.00 लाख (50 प्रतिशत) आवेदन ही स्वीकृत हुए। यहाँ तक कि स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष 1.40 लाख लाभार्थियों को अनुमोदन के पश्चात भी सहायता नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को लाभ से वंचित किया गया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2022 की अवधि तक लाभार्थियों से प्राप्त 1.42 लाख आवेदनो पर जून 2023 तक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही[90] नहीं की गई थी। यद्यपि कि बोर्ड के सचिव द्वारा उचित समय के भीतर लंबित आवेदनो के निस्तारण के लिए निर्देश (नवंबर 2021) जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि श्रमिकों को उचित लाभों के संवितरण में भी विलम्ब हुआ। चार चयनित जनपदों[91] में, अवधि 2020-22 में पुत्री विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का वितरण, दो से 20 महीने तक के विलम्ब से किया गया था। इसके कारण, जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का पालन नहीं किया गया था, जिसके अन्तर्गत एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के दिशा-निर्देशों में आवेदकों को, उनके आवेदनों की अस्वीकृति के कारणों की सूचना देने के प्रावधान का अभाव था। यह दर्शाता है कि आवेदनों के मूल्यांकन, स्वीकृति एवं अस्वीकृति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी।

इस प्रकार, योजनाओं में बार-बार परिवर्तन एवं लाभों के वितरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन अप्रभावी था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि सभी पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदान करने तथा नई योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आवेदनों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, आवेदन की स्वीकृति

---

[90] पांच वर्ष से अधिक के लिए 0.65 लाख आवेदन, चार वर्ष से अधिक के लिए 0.22 लाख आवेदन, तीन वर्ष से अधिक के लिए 0.06 लाख आवेदन, दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए 0.23 लाख आवेदन और एक वर्ष से अधिक के लिए 0.19 लाख आवेदन।

[91] आगरा (वर्ष 2021-22 के दौरान 148 लाभार्थियों को दो से पांच महीने के विलम्ब से सहायता प्राप्त हुयी), मुरादाबाद (वर्ष 2021-22 के दौरान 100 लाभार्थियों को 13 से 20 महीने के विलम्ब से सहायता प्राप्त हुयी), प्रयागराज (वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 21 लाभार्थियों को दो से बारह महीने के विलम्ब से सहायता प्राप्त हुयी) और वाराणसी (वर्ष 2021-22 के दौरान 243 लाभार्थियों को दो से 13 महीने के विलम्ब से सहायता प्राप्त हुयी)।

एवं अस्वीकृति की जानकारी लघु संदेश सेवा (शार्ट मैसेज सर्विस) के माध्यम से प्रदान (जनवरी 2024) की जा रही है तथा आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

7.2.6.1 योजनाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बोर्ड ने योजनाओं के उचित निरूपण तथा उनकी प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन के अनुश्रवण के बिना ही कई योजनाओं की घोषणा की और यहां तक कि कुछ घोषित योजनाएं केवल कागजों पर ही रह गईं। चयनित योजनाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निम्नलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

पेंशन योजना

अधिनियम की धारा 22(बी) के अनुसार, बोर्ड उन लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करने के लिए बाध्य है जिन्होंने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तदनुसार, बोर्ड ने उन पात्र श्रमिकों को ₹ एक हजार से ₹ 1250 के मासिक भुगतान के लिए एक पेंशन योजना अधिसूचित (जुलाई 2014) की, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व बोर्ड में विगत पांच वर्षों से लगातार पंजीकृत रहे हों। यद्यपि कि बोर्ड ने इस पात्रता मानदंड को पांच वर्ष से घटाकर (अप्रैल 2016) तीन वर्ष कर दिया तथा फिर से इसे बढ़ाकर (जनवरी 2019) 10 वर्ष कर दिया। अवधि 2017-22 में लाभार्थियों की संख्या एवं पेंशन वितरण का विवरण नीचे **तालिका 7.8** में दिया गया है:

तालिका 7.8: अवधि 2017-22 के दौरान लाभार्थियों एवं पेंशन की राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	पेंशन के रूप में भुगतानित धनराशि
2017-18	392	27.82
2018-19	410	28.15
2019-20	155	8.59
2020-21	155	41.02[92]
2021-22	197	4.90

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 से पूर्व के पेंशन योजना के 60 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को पात्रता मानदंड में परिवर्तन के कारण वर्ष 2019-20 में पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया था ।इसके

[92] इसमें 598 लाभार्थियों की अवधि 2020-21 से पहले की विफल बैंक लेनदेन के कारण, कुल 21 महीनों, के पुनर्जनन की पेंशन राशि सम्मिलित है।

अतिरिक्त, बैंक खातो के साथ आधार लिंक नहीं होने से संपन्न विफल लेनदेन के कारण, कई लाभार्थियों को अवधि 2017-22 में एक से 49 महीने तक के विलम्ब से देय पेंशन प्राप्त हुयी थी।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि मार्च 2022 तक 479 आवेदनों की स्वीकृति के पश्चात भी बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 197 लाभार्थियों (अनुमोदित लाभार्थियों के 58 प्रतिशत से कम) को पेंशन का भुगतान किया। पुनः बोर्ड ने 129.63 लाख से अधिक पंजीकृत लाभार्थियों को पेंशन भुगतान के अप्रत्याशित प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण, इस योजना को बंद करने का निर्णय (अप्रैल 2022) लिया था तथा इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित (मई 2022) किया था। यद्यपि कि जून 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अनिर्णय के कारण, लंबित आवेदनों के बावजूद वर्ष 2022-23 के दौरान न तो पेंशन का भुगतान किया गया एवं न ही कोई नवीन पेंशन ही स्वीकृति की गयी थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि पात्रता मानदंड में परिवर्तन का उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित करना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड पेंशन योजना को संचालित रखने के पक्ष में नहीं था, जबकि यह उसका एक अनिवार्य कार्य था।

पालना गृह योजना

अधिनियम की धारा 35 में नियोक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वे पचास से अधिक महिला श्रमिकों के नियोजन की दशा में शिशुगृहों की सुविधा प्रदान करें। यद्यपि, धारा 22 (ए से जी) के प्रावधान ऐसी सुविधाएं प्रदान करने में बोर्ड की कोई भूमिका निर्धारित नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों हेतु राज्य के विभिन्न जनपदों में सचल शिशुगृहों (सचल पालना गृह) की स्थापना का निर्णय (अगस्त 2013) लिया था। इस योजना को दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। इसके अंतर्गत, 9,793 सचल शिशुगृहों की आवश्यकता के सापेक्ष बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य समाज

कल्याण बोर्ड को 3,000 सचल शिशुगृहों[93] की स्थापना के लिए ₹48.92 करोड़ की राशि अवमुक्त (जनवरी, 2014) की गयी थी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को इन शिशुगृहों के संचालन के लिए नियुक्त कार्मिक और संगठनों के प्रमुखों के प्रशिक्षण हेतु ₹5.56 करोड़ तथा ₹4.23 करोड़ (अप्रैल 2014 एवं मई, 2014) प्रदान किए थें।

तथापि, सचल शिशुगृहों की अधोमानक सुविधाओं एवं स्थितियों के कारण बोर्ड ने नौ माह के अन्दर इस योजना को बंद (सितम्बर, 2014) कर दिया। इससे स्पष्ट है कि यह योजना बोर्ड द्वारा बिना उचित नियोजन एवं विचार विमर्श के लागू की गयी थी। इसके अतिरिक्त, हस्तांतरित ₹58.71 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने बोर्ड को केवल ₹7.40 करोड़ वापस (सितंबर 2014) किया था। इससे बोर्ड द्वारा सचल शिशुगृहों की सुविधा के लिए, जो कि बोर्ड का अनिवार्य कार्य नहीं था, ₹48.92 करोड़ का अप्रभावी व्यय संपन्न किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी नहीं की (मार्च 2024) तथा केवल यह कहा कि योजना को निलंबित कर दिया गया है।

निर्माण श्रमिक बालिका सहायता योजना

बोर्ड ने श्रमिकों की बालिकाओं के संरक्षण तथा सहयोग हेतु एवं वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से यह योजना आरंभ (सितम्बर, 2011) की। इस योजना में बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में ₹25 हजार[94] जमा किया जाना था, जिसे 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जिलाधिकारी की स्वीकृति के साथ परिपक्व राशि बालिका को हस्तांतरित किया जाना था, यदि वह उस समय तक अविवाहित रहती है। योजना के दिशा-निर्देशों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बालिका की मृत्यु की दशा में बोर्ड को जमा राशि वापस करने का भी प्रावधान सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, इस योजना को वर्ष 2018-19 में बंद कर दिया गया था तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना[95] नामक एक नई योजना के साथ एकीकृत किया गया था।

[93] शिशु गृह की आवर्ती व्यय के लिए ₹15.00 करोड़ और अनावर्ती व्यय के लिए ₹33.92 करोड़।

[94] दिनांक 12.05.2017 से प्रभावी।

[95] 28 दिसंबर 2018 को बोर्ड द्वारा अधिसूचित।

बोर्ड मुख्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017-22 में योजनान्तर्गत श्रमिकों की 14,200 बालिकाओं हेतु ₹29.24 करोड़[96] जमा किए गए थे। यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के दिशानिर्देशों में बोर्ड को जमा राशि वापस करने के लिए किसी तंत्र का अभाव था। साथ ही सावधि जमा की पावती भी श्रमिकों को सौंप दी गई थीं। इससे किसी भी अयोग्यता की स्थिति में, जैसे कि मृत्यु या कम उम्र में विवाह, जमा राशि के बैंकों के पास ही पड़े रहने की आशंका थी क्योंकि श्रमिकों द्वारा इसका दावा नहीं किये जाने की संभावना थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं कि कम उम्र में विवाह या मृत्यु की दशा में सावधि जमा राशि बोर्ड को वापस प्राप्त हो सके।

आपदा राहत सहायता योजना

बोर्ड ने आपदाओं की स्थिति में आजीविका की सुरक्षा हेतु सभी पंजीकृत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपदा राहत सहायता योजना अधिसूचित (मार्च 2020) की थी। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/बोर्ड के निर्णयों के अनुसार लाभार्थियों को वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/मासिक आधार पर ₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2019-22 में कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा ₹1,302.12 करोड़ का व्यय योजनान्तर्गत किया गया था। तथापि, विफल बैंक लेन-देन के कारण, कई लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं किए जा सके, जैसा कि नीचे **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है:

[96] अवधि 2017-20 के दौरान 8,921 बालिकाओं के लिए ₹16.13 करोड़ और अवधि 2020-22 के दौरान 5,279 बालिकाओं के लिए ₹13.11 करोड़।

तालिका 7.9: अवधि 2019-22 में वित्तीय सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों का विवरण

वर्ष	बोर्ड के पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या (लाख में)	प्रति लाभार्थी सहायता की किश्त /दर	लाभार्थियों की संख्या जिनके लिए सहायता राशि अवमुक्त की गयी	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें सहायता राशि प्राप्त हुई (लाख में) *(प्रतिशत में)*	विफल लेन-देन के कारण सहायता से वंचित लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गई सहायता की राशि (₹ करोड़ में)
2019-20	22.77	प्रथम/ ₹ 1000	17.91	17.91 *(100)*	00	00.00
2020-21	22.77	द्वितीय/ ₹ 1000	17.17	16.81 *(98)*	0.36	03.60
2021-22	47.97	तृतीय/ ₹ 1000	23.03	18.10 *(79)*	4.93	49.30
		चतुर्थ/ ₹ 3000[97]	6.31	4.47 *(71)*	1.84	55.20
		पंचम/ ₹ 1000	42.59	33.65 *(79)*	8.94	89.40
		षष्ठम/ ₹ 500	42.57	34.83 *(82)*	7.74	38.70
		सप्तम/ ₹ 500	42.41	26.97 *(64)*	15.44	77.20
योग			**191.99**	**152.74** ***(80)***	**39.25**	**313.40**

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा चयनित नहीं किया गया था। अवधि 2019-22 के दौरान पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष लाभान्वित लाभार्थियों में 11 से 52 प्रतिशत तक की कमी थी। इसके अतिरिक्त, विफल बैंक लेनदेन के कारण अवधि 2020-22 में 39.25 लाख लाभार्थियों को ₹313.40 करोड़ की वित्तीय सहायता के लाभ से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों के विवरणों को बिना सत्यापित किये एवं अभिलेखों से मिलान किए बिना ही बैंक खातों में धनराशियाँ हस्तांतरित की गयी थीं। इससे न केवल लेन-देन विफल रहा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कई अनियमितताएं भी हुईं, जिनमें बैंक खाता संख्या का दोहरा प्रयोग एवं प्रकल्पित बैंक खातों में धनराशि जमा करने के उदाहरण सम्मिलित हैं। यह हस्तांतरित धन की उचित निगरानी एवं अनुश्रवण की कमी का द्योतक है।

इस प्रकार, लाभार्थी डेटाबेस प्रबंधन में कमी के कारण, कई पात्र लाभार्थी कठिन समय में सहायता प्राप्त नहीं कर सके।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि लाभार्थियों के विवरण संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात सहायता हस्तांतरण के

[97] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर राज्य के आठ जनपदों के श्रमिकों को रख-रखाव भत्ता प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (नवंबर 2021) के अनुपालन में वितरित किया गया।

लिए बैंकों को भेजे गए थे तथा विफल लेनदेन से संबंधित आकडे भी मिलान के लिए जनपद/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए थे। शासन ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के उपयोग से असली श्रमिकों की पहचान और वास्तविक श्रमिकों के खातों में सहायता के हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त हुई। तथ्य यथावत रहा कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि बोर्ड के सभी पंजीकृत लाभार्थी, वास्तविक श्रमिक नहीं थे।

श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना

यह योजना जुलाई 2011 में हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, मस्तिष्क सर्जरी, कशेरुका सर्जरी, घुटने के प्रत्यारोपण, कैंसर और एचआईवी रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार पर संपन्न चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रारम्भ की गई थी। अक्टूबर 2017 में इस योजना के अंतर्गत अन्य बीमारियों को आच्छादित करने के लिए, इसका विस्तार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017-22 में केवल 91 लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल सरकारी अस्पतालों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार के प्रकरण में ही प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में सम्मिलित चिकित्सालय राज्य के केवल 15 शहरों[98] में केंद्रित थे, जबकि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा 14 शहरों[99] में ही उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, सरकारी चिकित्सालयों में गरीबों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध थी।

इस प्रकार, प्रतिबंधो के आरोपण के कारण, योजना केवल 91 लाभार्थियों को ही सहायता प्रदान कर सकी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित सभी बीमारियों को आच्छादित करने के लिए योजना को संशोधित (अक्टूबर 2017) किया गया है। यद्यपि, योजना का लाभ केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान किया जाता है।

98 आगरा, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी।

99 आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के आच्छादन क्षेत्र में विस्तार के बाद भी इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी आई थी।

आवासीय विद्यालय योजना

माह फरवरी 2015 में अधिसूचित इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के ऐसे बच्चों को प्राथमिक से इंटरमीडिएट स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था जिनकी आयु छः से 14 वर्ष के मध्य हो। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के 12 जनपदों[100] में किराए के आवासों में 24 आवासीय विद्यालय (लड़कियों और लड़कों के लिए एक-एक) संचालित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 100 छात्र/छात्राओं की थी। इन विद्यालयों का संचालन प्रदेश सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा अनुबंध के माध्यम से नामित विभिन्न संगठनों[101] द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के बाद इन विद्यालयों को बंद करने का भी निर्णय (जनवरी 2020) लिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने इन विद्यालयों के संचालन के लिए वर्ष 2015-16 में महिला समाख्या[102] को नामित किया था। तथापि अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न किए जाने[103], विद्यार्थियों के कम नामांकन तथा विद्यालयों के अधोमानक प्रबंधन के कारण, उपर्युक्त संगठन के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, महिला समाख्या ने बोर्ड द्वारा हस्तांतरित ₹43.92 करोड़ (मार्च 2015 से मई 2018 के मध्य) एवं हस्तांतरित निधियों पर अर्जित ब्याज ₹37.64 लाख के सापेक्ष केवल ₹40.88 करोड़ का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। इससे ₹3.42 करोड़ का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया था।

अग्रेतर, बोर्ड ने (अक्टूबर 2018) तीन संगठनों अर्थात उद्यमिता विकास संस्थान[104], लखनऊ विश्वविद्यालय[105] के समाजशास्त्र विभाग एवं क्षेत्रीय

---

[100] आगरा, आजमगढ़, बहराइच, भदोही, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कन्नौज, कानपुर, ललितपुर, मेरठ और मुरादाबाद।

[101] महिला समाख्या/गैर-सरकारी संगठनों/सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों और बोर्ड द्वारा नामित अन्य ऐसे संस्थान।

[102] महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश का एक संगठन।

[103] महिला समाख्या ने समझौता ज्ञापन के खंड 25 का उल्लंघन किया क्योंकि विद्यालयों के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा हस्तांतरित राशि, बेहतर ब्याज दर के लिए ऑटो स्वीप खाते में नहीं रखी गई थी, आवर्ती और गैर-आवर्ती व्ययों के लिए अलग खाता भी नहीं खोला गया था, निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही गैर-नाशवान वस्तुओं की खरीद की गई थी।

[104] आजमगढ़, मुरादाबाद, कन्नौज और इटावा जनपदों के विद्यालयों के संचालन के लिए।

[105] जनपद ललितपुर व कानपुर नगर के विद्यालयों के संचालन के लिए।

शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ[106] को क्रमशः चार, दो और छः जनपदों में इन विद्यालयों के संचालन के लिए नामित किया। यद्यपि, आवंटित विद्यालयों के संचालन में क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र की असमर्थता के कारण, इन विद्यालयों को भी लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग[107], एवं उद्यमिता विकास संस्थान[108] को सौंपा गया (अगस्त 2019), यद्यपि कि इन संस्थाओं का प्रदर्शन भी असंतोषजनक था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने इन विद्यालयों के छात्राओं को नजदीकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता के कारण स्थानांतरित करने का निर्णय (सितंबर 2019) लिया था। यद्यपि कि यह निर्णय मार्च 2023 तक क्रियान्वित नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दोनों संगठनों के साथ अनुबंधों को, एक से दूसरे संगठन को अभिलेख स्थानांतरित करने में कठिनाइयों के कारण, वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया गया था। यद्यपि कि वर्ष 2021-22 में, लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन[109] एवं समाजशास्त्र विभाग[110], प्रत्येक को छः जनपदों में इन विद्यालयों के संचालन का दायित्व सौंपा गया था। साथ ही शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से राज्य में अटल आवासीय विद्यालयो का संचालन प्रारंभ होने के पश्चात भी, बोर्ड के निर्णय के विपरीत आवासीय विद्यालय संचालित रहे।

इस प्रकार, अधोमानक प्रबंधन के बावजूद, आवासीय विद्यालय का संचालन अटल आवासीय विद्यालयों के आरंभ के बाद भी अस्तित्व में रहा।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि बोर्ड द्वारा आवासीय विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय (नवम्बर 2023) लिया गया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कोई नया प्रवेश नहीं करना, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यधारा के विद्यालयों में समायोजित करना तथा न्यूनतम संसाधनों के साथ आवासीय विद्यालयों को संचालित करना इत्यादि सम्मिलित है।

निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह सहायता योजना

यह योजना बोर्ड द्वारा बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने तथा श्रमिकों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों से

---

106 मेरठ, गाजियाबाद, बहराइच, आगरा, फिरोजाबाद और भदोही जनपदों के विद्यालयों के संचालन के लिए।

107 फिरोजाबाद, आगरा और बहराइच।

108 मेरठ, गाजियाबाद और भदोही।

109 कन्नौज, आजमगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, भदोही और मेरठ।

110 कानपुर, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और बहराइच।

आरम्भ (सितंबर 2011) की गई थी। इसके अन्तर्गत लाभार्थी को व्यक्तिगत विवाह के लिए ₹55 हजार एवं सामूहिक विवाह के लिए ₹65 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है। प्रावधानों के अनुसार, योजना का लाभ आवेदन के 45 दिनों के अंदर प्रदान किया जाना है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः चयनित जनपदों में से चार[111] में, आवेदनों की स्वीकृति के बाद भी अवधि 2020-22 में 1,663 लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, लाभ के संवितरण में भी विलम्ब हुआ (जैसा कि ***प्रस्तर 7.2.6*** में वर्णित है)। इसके अतिरिक्त, चयनित गौतम बुद्ध नगर जनपद में, 13 लाभार्थियों को निर्धारित राशि से अधिक की वित्तीय सहायता[112] का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय सहायता का भुगतान न किये जाने तथा सहायता राशि के विलंबित भुगतान से श्रमिकों की वित्तीय स्थिति संकटग्रस्त हुयी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2024) कि लाभों के विलम्बित भुगतान एवं भुगतान न किये जाने हेतु विभिन्न कारक उत्तरदायी थे, जिनमें भुगतान की प्रक्रिया में अन्य सरकारी अधिकारियों की भूमिका, लाभार्थियों का सत्यापन, आधार का अपडेट न होना तथा निष्क्रिय बैंक खाते सम्मिलित हैं। सरकार ने यह भी बताया कि उप श्रमायुक्त, गौतम बुद्ध नगर को वित्तीय सहायता के अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरणों में दायित्व निर्धारण तथा अधिक भुगतानित राशि की वसूली सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए हैं।

7.2.6.2 मॉडल कल्याण योजना का कार्यान्वयन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (मार्च 2018) के अनुपालन में, भारत सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक मॉडल योजना तैयार (अक्टूबर 2018) की तथा इसका कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए राज्य बोर्डों को निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉडल कल्याण योजना के सामाजिक सुरक्षा लाभों का, अन्य सभी मौजूदा लाभों पर प्रधानता होगी तथा इन प्राथमिकता वाले व्ययों को पूरा करने के पश्चात ही शेष निधियों का उपयोग अधिनियम की धारा 22(एच) के अन्तर्गत अतिरिक्त लाभों को प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

---

[111] आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और वाराणसी।

[112] 12 लाभार्थियों को ₹ 3.30 लाख प्रति लाभार्थी का भुगतान किया गया जबकि एक लाभार्थी को ₹ 2.75 लाख का भुगतान किया गया।

मॉडल कल्याण योजना की प्रस्तावित गतिविधियों एवं राज्य में उनके कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-XIV*** मे दिया गया है तथा नीचे **तालिका 7.10** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 7.10: मॉडल योजना की प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति

गतिविधि का नाम	प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति
जीवन तथा विकलांगता बीमा	बोर्ड को दुर्घटनाओं में श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर ₹ चार लाख तथा स्वाभाविक मृत्यु के प्रकरण में ₹ दो लाख, उनके परिवार को मृत्यु के 60 दिनों के अंदर प्रदान करना है। भारत सरकार ने अपेक्षित लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को आच्छादित करने का सुझाव दिया। बोर्ड ने इस हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना के स्थान पर स्वयं की दुर्घटना/मृत्यु तथा विकलांगता सहायता योजना इस आधार पर लागू किया कि उसकी योजना[113] में अधिक सहायता राशि प्रावधानित है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायता का वितरण न होने के कारण कई पात्र लाभार्थियों को अवधि 2017-22 में दुर्घटना/मृत्यु तथा विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिला या विलंब से सहायता प्रदान की गयी थी। परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना का कार्यान्वयन न किये जाने के कारण पात्र लाभार्थियों को बीमा के लाभ से वंचित होना पड़ा।
स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा	बोर्ड को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत अधिकतम श्रमिकों को आच्छादित करने की आवश्यकता है तथा अनाच्छादित श्रमिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को महिला श्रमिकों को सवेतन मातृत्व अवकाश एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा विलम्ब से (फरवरी 2021) आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। साथ ही बोर्ड द्वारा महिला श्रमिकों को सवेतन मातृत्व अवकाश एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ योजना लागू की गयी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करने की भी घोषणा (अक्टूबर 2020) की थी। यद्यपि कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2023 तक, केवल 11.65 लाख श्रमिकों (बोर्ड के साथ पंजीकृत कुल लाभार्थियों के 10 प्रतिशत से भी कम) को ही आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, मातृत्व लाभ योजना में आवेदनों के अनुमोदन एवं सहायता वितरण की दर भी कम थी। परिणामस्वरूप, बोर्ड मॉडल योजना की गतिविधि के अनुरूप सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका।

[113] आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹ पांच लाख और प्राकृतिक मृत्यु के मामले में ₹ दो लाख।

गतिविधि का नाम	प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति
शिक्षा	बोर्ड को श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा (कक्षा एक से स्नातक पाठ्यक्रमों तक) के लिए प्रतिवर्ष ₹ एक हजार आठ सौ से ₹ दस हजार तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना अपेक्षित है। बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों की कक्षा एक से स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के लिये ₹ दो हजार से ₹ 24 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना आरम्भ की थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त गतिविधि के समान, आवेदनों के अनुमोदन एवं सहायता भुगतान की दर इस गतिविधि के अन्तर्गत भी कम थी। परिणामस्वरूप, बोर्ड संबंधित गतिविधि के संबंध में अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर सका।
आवास	बोर्ड को श्रमिकों की सघनता वाले ऐसे क्षेत्रों, जहाँ वे कार्य की खोज हेतु एकत्र होते हैं, पारगमन आवास/श्रमिक शेड-सह-रैन बसेरा, सचल शौचालयों एवं सचल शिशुगृहों की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय प्रयास करना है। तथापि, बोर्ड ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया तथा संबंधित गतिविधि कार्यान्वित नहीं की गयी।
कौशल विकास	बोर्ड को श्रमिकों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु राज्य/राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में प्रशिक्षण का आयोजन करना है तथा प्रशिक्षण अवधि में श्रमिकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न अनुशासनों में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना" लागू की। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस योजना को एक एकल कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया था तथा राज्य/केन्द्र के अन्य मौजूदा कार्यक्रमों के साथ अभिसरण नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अवधि 2014-19 में योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का आयोजन किया। यद्यपि कि बोर्ड द्वारा देनदारियों का भुगतान न करने के कारण, अवधि 2018-19 के बाद कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता का भुगतान भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, अवधि 2018-19 के उपरान्त कौशल विकास गतिविधि भी लागू नहीं की गई थी।
जागरूकता कार्यक्रम	यह गतिविधि श्रमिकों के लिए बुनियादी स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का सुझाव देती है जैसे कि स्मार्टफोन पर कल्याण योजनाओं के वीडियो प्रसारित करना, कल्याण योजनाओं के लिए लघु सन्देश सेवा का उपयोग करना, दीवार पेंटिंग, नियोक्ताओं द्वारा प्रचार एवं जागरूकता पहल आदि। बोर्ड ने इस हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना को लागू किया था। यद्यपि, इस जागरूकता कार्यक्रम को लागू करने के बाद भी, बोर्ड बुनियादी जागरूकता कार्यक्रमों जैसे वीडियो का प्रसारण, लघु सेवा सन्देश सेवाओं का उपयोग, दीवार पेंटिंग आदि को क्रियान्वित करने में विफल रहा। इस प्रकार, इस गतिविधि को परिकल्पना के अनुरूप लागू नहीं किया गया था।

गतिविधि का नाम	प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति
पेंशन	इस गतिविधि का उद्देश्य उन श्रमिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है जो बोर्ड में न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत रहे हैं। बोर्ड ने लक्षित लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना लागू की। यद्यपि, ***प्रस्तर संख्या 7.2.6.1*** में किये गए वर्णन के अनुसार योजना को बंद करने का निर्णय (अप्रैल 2022) लिया था।

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने मॉडल योजना की प्रस्तावित गतिविधियों को लागू नहीं किया, जिसका अनुपालन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, मॉडल योजना की गतिविधियों के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए बिना ही विद्यालयों के संचालन, श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता, श्रमिकों की बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता *आदि* जैसी अन्य योजनाओं पर बोर्ड द्वारा किया गया व्यय भी भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि दुर्घटना/मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की भुगतान प्रक्रिया को, सहायक/ उप श्रमायुक्त को ₹ दो लाख तक की स्वीकृति शक्तियां प्रदान कर सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने के लिए केवल 11.65 लाख श्रमिकों के पूर्ण विवरण उपलब्ध होने की पुष्टि की। सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को निस्तारित कर दिया गया है तथा लेबर चौकों/नाकों पर सुविधा केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सरकार ने कौशल विकास घटक के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा केवल यह कहा कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम में सुधार का भी उल्लेख किया। पेंशन घटक के अंतर्गत, सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि पूर्व लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

7.2.7 योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा संपन्न नहीं होना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवधि 2015-18 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा संपन्न कराने का निर्णय (जून 2018) लिया तथा उत्तर प्रदेश

सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय को इसके लिए कार्यदायी संस्था नामित किया। तदनुसार, अवधि 2017-18 की नौ योजनाओं[114] तथा पूर्व वर्षों की 14 योजनाओं की लेखापरीक्षा, सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल मनरेगा की सामाजिक लेखा परीक्षा करने की विशेषज्ञता प्राप्त थी, जबकि बोर्ड के लाभार्थी राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित थे। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में प्रस्तावित योजनाओं के कुल व्यय के एक प्रतिशत की मांग की गयी थी, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, चयनित योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा मार्च 2022 तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं होने के परिणामस्वरूप, बोर्ड की योजनाओं के प्रत्याशित लाभों एवं बोर्ड के कार्यों की प्रभावशीलता, दोनों का आंकलन करना कठिन था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2024) कि लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज विकास खण्ड में वर्ष 2023-24 के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो योजनाओं (पुत्री विवाह सहायता योजना तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना) की सामाजिक लेखापरीक्षा कराया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने बताया कि अन्य जनपदों के चयनित विकास खंडों में सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संक्षेप में:

उत्तर प्रदेश सरकार समय पर बोर्ड का गठन करने, सचिव एवं अन्य अधिकारियों के पदों की स्वीकृत करने, बोर्ड के बजट का अनुमोदन तथा अनिवार्य क्षेत्रों में बोर्ड को कार्यकलाप सौंपने में विफल रही। बोर्ड द्वारा विलंबित एवं अवास्तविक बजट तैयार किया गया था। कल्याण निधि का प्रबंधन भी दक्षतापूर्ण नहीं था।

बोर्ड ने वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे तैयार नहीं किए। राज्य सलाहकार समिति निष्प्रभावी थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार/बोर्ड द्वारा कई अन्य समितियों का भी गठन नहीं किया गया था। बोर्ड के साथ पंजीकृत

[114] मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना, शिशु सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह योजना, आवासीय विद्यालय सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना और अन्य।

लाभार्थियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सका था। बहुत से लाभार्थियों को या तो वित्तीय सहायता नहीं मिली या विलम्ब से मिली। मॉडल कल्याण योजना के कार्यान्वयन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी।

अनुशंसा 17: *राज्य सरकार समय पर बोर्ड का पुनर्गठन तथा बोर्ड की बैठकों का समय पर आयोजन सुनिश्चित कर सकती है।*

अनुशंसा 18: *राज्य सरकार समय पर बजट अनुमानों की तैयारी एवं अनुमोदन तथा समय पर वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे की तैयारी एवं उनका प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है।*

अनुशंसा 19: *राज्य सरकार समय पर आवेदनों के संसाधन एवं लाभों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है।*

(राम हित)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-**I**)

दिनांक 11 अप्रैल 2025 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक 15 APR 2025